रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 14, 2011/आषाढ़ 23, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 89
No. 116] DELHI, THURSDAY, JULY 14, 2011/ASADHA 23, 1933 [N.C.T.D. No. 89

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 14 जुलाई, 2011

क्र. 316/नियम/डी.एच.सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित, दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26), लेटर्स पेटेंट के खण्ड 27 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के जिल्द V के अध्याय 4 के भाग ई में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

I. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के जिल्द V के अध्याय 4 के भाग ई के नियम 1 के खण्ड (ए) को हटाया जाता है ।

II. निम्नलिखित नियम को दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश जिल्द V के अध्याय 4 के भाग ई के विद्यमान नियम 5 हेतु प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

5. प्रतिरक्षा अधिवक्ताओं के शुल्कों का मापमान - इस प्रकार से नियुक्त किये गये विधि व्यवसायी इस भाग के साथ संलग्नित तालिका के अनुसार शुल्क प्राप्त करेंगे । माननीय न्यायधीशगण को बिना कष्ट दिए हुए एक मास के भीतर शाखा के द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा । निबंधक के द्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

तालिका

क्र.सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित
	प्रारूपण : (आपराधिक मामले)	
1.	दांडिक अपील	कुल भुगतान रु. 1,500 एक बार जहाँ सम्बंधित मामलों अथवा सामूहिक मामलों में अभिवचन सारतः समान हो, अधिवक्ता रु. 1000 प्रति मामले में अतिरिक्त प्रारूपण शुल्क प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो सम्बंधित मामलों अथवा सामूहिक मामलों के प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम कुल रु. 5000 के अध्यधीन होगा ।
2.	दांडिक पुनरीक्षण, जमानत आवेदन, अग्रिम जमानत आवेदन, परोल आवेदन, निलंबन आवेदन एवं कोई अन्य आवेदन।	रु. 500 प्रति एफ. आई. आर. के लिए अधिकतम रु. 1000 के अध्यधीन। उसी एफ. आई. आर. से उद्भूत हुए सम्बंधित अथवा सामूहिक मामलों में अतिरिक्त प्रारूपण शुल्क देय नहीं है।
	कार्य करना :	
1.	माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष सभी मामले ।	रु. 2000 मामले को ग्रहण किये जाने पर एवं रु. 4000 मामले को अंतिम रूप से निपटाए जाने पर।
2.	खण्डपीठ के समक्ष सभी मामले ।	रु. 3000 मामले को ग्रहण किये जाने पर एवं रु. 6000 मामले को अंतिम रूप से निपटाए जाने पर ।
3.	जमानत आवेदन, अग्रिम जमानत आवेदन, परोल आवेदन, निलंबन आवेदन एवं कोई अन्य आवेदन	रु. 500 प्रति एफ. आई. आर. अधिकतम कुल रु. 1000 प्रति एफ. आई. आर. के अध्यधीन।
	विविध व्यय :	
1.	टंकण	रु. 15 प्रति पृष्ठ (1 + 3)
2.	छाया प्रति	रु. 0.50 छाया प्रति (प्रति पृष्ठ)
3.	लिपिक शुल्क	शुल्क का 10% अधिकतम रु. 2000 के अध्यधीन

सामान्य शर्तें :

1. एक ही निर्णय/आदेश से उद्भूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा याचिकाओं को एक मामले के रूप में माना जाएगा ।
2. जब एक मामले में स्थानांतरण याचिका को सम्मिलित करते हुए विविध आवेदनों को फाइल किया जाता है तो केवल प्रारूपण एवं टंकण शुल्क देय होंगे एवं कोई पृथक शुल्क देय नहीं होगा ।
3. जब मामले के लम्बन के दौरान अधिवक्ता को परिवर्तित किया जाता है तो शुल्क ऊपर उल्लिखित नियत प्रक्रम के अनुसार देय होगा ।
4. किसी मामले में देय शुल्क विनिर्दिष्ट रूप से अनुसूची में आच्छादित न होने पर न्यायालय/न्यायाधीश के स्वविवेकानुसार होगा, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा ।
5. देय मानदेय के विषय में किसी सन्देह अथवा राय की भिन्नता की दशा में, न्यायालय/न्यायाधीश का विनिश्चय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।
6. शुल्क/मानदेय की पुनरीक्षित दरें अनुमोदन की तिथि से लागू होंगी। पूर्व में निपटाए गये मामले पुनः नहीं खोले जाएँगे ।

टिप्पण : ये संशोधन उनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATIONS

Delhi, the 14th July, 2011

No. 316/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Article 225 of the Constitution of India, Clause 27 of the Letters Patent and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendments in Part E of Chapter 4 of Volume V of Delhi High Court Rules and Orders :—

I. Clause (a) of Rule 1 of Part E of Chapter 4 of Volume V of the Delhi High Court Rules and Orders is deleted.

II. The following Rule shall be substituted for the existing Rule 5 of Part E of Chapter 4 of Volume V of Delhi High Court Rules and Orders :—

5. Scales of fees of defence counsels—The legal practitioner so appointed shall receive a fee as per the table annexed to this part. The certificate shall be issued by the Branch within one month without bothering the Hon'ble Judges. The payment shall be made through the Government of N.C.T. of Delhi on the production of the said certificate signed be the Registrar.

TABLE

Sl. No.	Description of work	Proposed
	Drafting : (Criminal Matters)	
1.	Criminal appeal	Rs. 1,500/- one time total payment. Where the pleadings in connected cases or batch matters are substantially similar, the advocate will be entitled to an additional drafting fee of Rs. 1,000/- per case, subject to a maximum total of Rs. 5,000/- per group of connected cases or batch matters.
2.	Criminal Revision, bail application, anticipatory bail application, parole application, suspension application and any other application	Rs. 500/- subject to a maximum of Rs. 1,000/- per FIR Additional drafting fee is not payable in connected or batch matters arising out of same FIR.
	Acting	
1.	All cases before an Hon'ble Single Judge.	Rs. 2,000/- on admission of the case and Rs. 4,000/- on final disposal of the case.
2.	All cases before a Division Bench.	Rs. 3,000/- on admission of the case and Rs. 6,000/- on final disposal of the case.
3.	Bail application, anticipatory bail application, parole application, suspension application and any other application.	Rs. 500/- per FIR subject to a maximum total of Rs. 1,000/- per FIR.
	Miscellaneous Expenses :	
1.	Typing	Rs. 15/- per page (1+3)
2.	Photocopy	Rs. 0.50 photocopy (per page)
3.	Clerkage	10% of the fee subject to a maximum of Rs. 2000/-.
	General Conditions :—	
1.	Appeals/Revisions or Petitions arising from one common judgement/order will be considered as one case.	
2.	When misc. applications are filed in a case, including transfer petition only drafting and typing charges will be payable and no separate fee will be payable.	
3.	When counsel is changed during the pendency of the case fee will be payable as per the stage fixed hereinabove.	
4.	Fees payable in any case not covered in the schedule specifically shall be at the discretion of the Court/ Judge, whose decision shall be final.	
5.	In the event of any doubt or difference of opinion regarding the honorarium payable, the decision of the Court/Judge shall be final and binding.	
6.	The revised rates of the Fee/Honorarium shall be applicable from the date of approval. Cases already settled will not be re-opened.	

Note : These Amendments shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

सं. 317/नियम/डी.एच.सी.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304 की उप-धारा (2) के साथ पठित दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के जिल्द III के अध्याय 24 के भाग सी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :

I. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के जिल्द III के अध्याय 24 के भाग सी के विद्यमान नियम 1 हेतु निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"1. सुपुर्दगीकार दण्डाधिकारी का रिपोर्ट करना कि क्या अभियुक्त, अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम है — यह विचार किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो केवल सत्र-न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध करने का आरोपित हो तो उसे या तो सत्र-न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय में उसके विचारण पर विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध हेतु सत्र-न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द करने वाला दण्डाधिकारी रिपोर्ट करेगा कि क्या उसके समक्ष कार्यवाहियों में अभियुक्त का अधिवक्ता के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था, एवं यदि नहीं तो क्या अभियुक्त सत्र-न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में उसके विचारण हेतु किसी को नियुक्त कर सकता है।"

II. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के जिल्द III के अध्याय 24 के भाग सी के विद्यमान नियम 2(1) हेतु निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"2(1) सुपुर्दगीकार दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित साक्ष्य एवं सुपुर्दगी का आदेश।"

III. दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश के जिल्द III के अध्याय 24 के भाग सी के विद्यमान नियम 3 हेतु निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"**अधिवक्ता का शुल्क** — न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये विधि व्यवसायी इस भाग में संलग्न तालिका के अनुसार शुल्क प्राप्त करेंगे। विशिष्ट मामलों में विचारण करने वाले सत्र-न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र-न्यायाधीश उच्चतर शुल्क अनुज्ञात करने हेतु अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सम्बद्ध न्यायालय द्वारा एक मास के भीतर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। सम्बद्ध न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित उक्त प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण पर रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

तालिका

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित
	आपराधिक मामले	
1.	(i) आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड को अंतर्ग्रस्त करते हुए, एन.डी.पी.एस., एम.सी.ओ. सी.ए. एवं द.प्र.सं. की धारा 376 के अंतर्गत मामलों को सम्मिलित करते हुए सत्र मामले	तीन अवस्थाओं में भुगतान किये जाने वाले रु. 12000/- प्रति मामला। (i) 1/3 आरोप की विरचना पर। (ii) 1/3 अभियोजन एवं प्रतिवादी के साक्ष्य की समाप्ति पर (iii) 1/3 अंतिम रूप से निपटाए जाने पर।
	(ii) अन्य सभी सत्र मामले	उपरोक्त रूप से तीन अवस्थाओं में देय रु. 10,000/- प्रति मामला।
2.	अपीलें	रु. 500/- प्रारूपण हेतु एवं रु.1000/- कुल भुगतान एक बार। (1) जहाँ सम्बंधित मामलों अथवा सामूहिक मामलों में अभिवचन सारतः समान हों, अधिवक्ता रु. 500/- प्रति मामले में अतिरिक्त प्रारूपण शुल्क प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो संबंधित मामलों अथवा सामूहिक मामलों के प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम कुल रु. 5000/- के अध्यधीन होगा। (2) किसी अपील में प्रत्यर्थी की उपस्थिति के मामले में कुल भुगतान रु. 1000/- एक बार किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)
3.	पुनरीक्षण	प्रारूपण हेतु रु. 500 एवं रु. 1000 कुल भुगतान एक बार । (1) उसी एफ.आई.आर. से उद्भूत हुए सम्बंधित अथवा सामूहिक मामलों में अतिरिक्त प्रारूपण शुल्क देय नहीं है । (2) किसी पुनरीक्षण में प्रत्यर्थी की उपस्थिति के मामले में कुल भुगतान रु. 1000 एक बार किया जाएगा ।
4.	जमानत आवेदन : सत्र न्यायाधीश के समक्ष	अन्तिम जमानत आवेदन को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक जमानत आवेदन हेतु रु. 500 जो एक एफ.आई.आर. में प्रति अभियुक्त अधिकतम तीन जमानत आवेदनों के अध्यधीन होगा ।
	विविध व्यय :	
1.	लिपिक शुल्क	शुल्क का 10% अधिकतम रु. 2000 के अध्यधीन ।
2.	टंकण शुल्क	रु. 15 प्रति पृष्ठ (1+3)
3.	छाया प्रति	रु. 0.50 छाया प्रति (प्रति पृष्ठ)
	सामान्य शर्तें :	
1.	एक ही निर्णय/आदेश से उद्भूत अपीलों/पुनरीक्षणों अथवा याचिकाओं को एक मामले के रूप में माना जाएगा ।	
2.	जब एक मामले में स्थानांतरण याचिका को सम्मिलित करते हुए विविध आवेदनों को फाइल किया जाता है तो केवल प्रारूपण एवं टंकण शुल्क देय होगा एवं कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा ।	
3.	जब मामले के लम्बन के दौरान अधिवक्ता को परिवर्तित किया जाता है तो शुल्क ऊपर उल्लिखित नियत प्रक्रम के अनुसार देय होगा ।	
4.	किसी मामले में देय शुल्क विनिर्दिष्ट रूप से अनुसूची में आच्छादित न होने पर न्यायालय/न्यायाधीश के स्वविवेकानुसार होगा, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा ।	
5.	देय मानदेय के विषय में किसी सन्देह अथवा राय की भिन्नता की दशा में, न्यायालय/न्यायाधीश का विनिश्चय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा ।	
6.	शुल्क/मानेदय की पुनरीक्षित दरें अनुमोदन की तिथि से लागू होंगी। पूर्व में निपटाए गये मामले पुनः नहीं खोले जाएँगे ।	

टिप्पण : ये संशोधन उनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

न्यायालय के आदेशानुसार,

वी. पी. वैश्य, महानिबंधक

No. 317/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1996) read with sub-section (2) of Section 304 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and with the previous approval of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, the High Court of Delhi hereby makes the following amendments in Part C of Chapter 24 of Volume III of Delhi High Court Rules and Orders :—

I. The following Rule shall be substituted for the existing Rule 1 of Part C of Chapter 24 of Volume III of Delhi High Court Rules and Orders :—

"1. Committing Magistrate to report whether accused can afford to engage counsel—It is considered that every person charged with committing an offence triable exclusively by the Court of Sessions should have legal assistance at his trial either in a Court of Sessions or in the High Court. With this object the Magistrate committing any person for trial to a Court of Session or to the High Court for such an offence shall report whether the accused was represented by counsel in the proceedings before him, and if not, whether the accused can afford to engage one for his trial in the Court of Sessions or the High Court."

II. The following Rule shall be substituted for the existing Rule 2 (1) of Part C of Chapter 24 of Volume III of Delhi High Court Rules and Orders :—

"2. (1) the evidence recorded by the Committing Magistrate and the order of commitment."

III. The following Rule shall be substituted for the existing Rule 3 of Part C of Chapter 24 of Volume III of Delhi High Court Rules and Orders :—

"3. Fees of counsel—The Legal Practitioner thus engaged by the Court shall receive a fee as per the table annexed to this part. In special cases, the Sessions Judge/Additional Sessions Judge holding the trial may exercise his discretion to allow a higher fee. The certificate shall be issued by the Court concerned within one

month. 'The payment shall be made through the Government of N.C.T. of Delhi on the production of the said certificate signed by the Judge concerned."

TABLE

Sl. No.	Description of work	Proposed
	Criminal cases	
1.	(i) Sessions cases involving sentence of life imprisonment or death, including cases under NDPS, MCOCA and Section 376 IPC.	Rs. 12,000 per case to be paid in three stages : (i) 1/3 on framing of charge. (ii) 1/3 on conclusion of evidence of prosecution and defence. (iii) 1/3 on final disposal.
	(ii) All other Sessions Cases.	Rs. 10,000 per case payable in three stages, as above.
2.	Appeals	Rs. 500 for drafting and Rs. 1,000 one time total payment (1) Where the pleadings in connected cases or batch matters are substantially similar, the advocate will be entitled to an additional drafting fee of Rs. 500 per case, subject to a maximum total of Rs. 5,000 per group of connected cases or batch matters. (2) In the case of Respondent appearance in an appeal one time total payment of Rs. 1,000 shall be paid.
3.	Revision	Rs. 500 for drafting and Rs. 1,000 one time total payment (1) Additional drafting fee is not payable in connected or batch matters arising out of same FIR. (2) In the case of Respondent appearance in a revision one time total payment of Rs. 1,000 shall be paid.
4.	Bail Applications : Before Sessions Judge	Rs. 500 for each bail application including anticipatory bail application subject to a maximum of three bail applications per accused in an FIR.
	Miscellaneous Expenses :	
1.	Clerkage	10% of the fee subject to a maximum of Rs. 2000
2.	Typing Charges	Rs. 15 per page (1+3)
3.	Photocopy	Rs. 0.50 photocopy (per page)

General Conditions :

1. Appeals/Revisions or Petitions arising from one common judgement/order will be considered as one case.
2. When misc. applications are filed in a case, including transfer petition only drafting and typing charges will be payable and no separate fee will be payable.
3. When counsel is changed during the pendency of the case fee will payable as per the stage fixed hereinabove.
4. Fees payable in any case not covered in the schedule specifically shall be at the discretion of the Court/Judge, whose decision shall be final.
5. In the event of any doubt or difference of opinion regarding the honorarium payable, the decision of the Court/Judge shall be final and binding.
6. The revised rates of the Fee/Honorarium shall be applicable from the date of approval Cases already settled will not be re-opened.

Note : These Amendments shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

By Order of the Court,

V. P. VAISH, Registrar General

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के आयुक्त का कार्यालय

आदेश

दिल्ली, 14 जुलाई, 2011

सं. फा. 3(4)/2009-एफ एंड एस/पी व सी/खण्ड-III/381.— जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल ने खाद्य विभाग, भारत सरकार की दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 के द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16-11-2010 के आदेश संख्या एफ 3(4)/2009-एफ एवं एस/पी एवं सी/खण्ड-III/994 को आदेश दिया कि दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002-एफ एवं एस/पी एवं सी (2)/19 जो दिल्ली चीनी व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1963 से संबंधित था, जो दिनांक 30-9-2011 तक के लिये विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (दसवां संशोधन) आदेश, 2011 के निवारण (लाइसेंसिस आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित रखे जायेंगे ।

और जबकि केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग) के दिनांक 30-3-2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 654(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने पर प्रतिबंध) निवारण (संशोधन) आदेश, 2011 जारी किया गया है; और इसके खण्ड 1, 2, 3 और 4 में निम्न व्यवस्था है :—

"1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने पर प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिये क्रय, लाने ले जाने बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2011 तक की आगामी अवधि के लिये या आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, वस्तुएं अर्थात् चीनी के लिये स्थगित रखे जाएंगे ।

3. इस आदेश में कुछ भी होते हुए राज्य से बाहर के स्थानों में चीनी की ढुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न ही इस वस्तु के आयात पर लागू होगा :

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें चीनी के स्टॉक की प्राप्तियां तथा उनके द्वारा रखे गये स्टाक की घोषणा करने के लिये आयातकर्ताओं को निदेश दे सकती है ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि में भी प्रवृत्त रहेंगे ।"

अत: अब इसलिए खाद्य विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा आदेश देते हैं कि दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3(4)/2002-एफ एवं एस/पी एवं सी(2)/19 इस आदेश के प्रवृत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2011 तक की आगामी अवधि के लिये विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टॉक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (दसवां संशोधन) आदेश, 2011 के उपबंधों की सीमा तक स्थगित रखा जाएगा ।

OFFICE OF THE COMMISSIONER : FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS

ORDERS

Delhi, the 14th July, 2011

No. F. 3 (4)/2009/F&S/P&C/Vol.-III/381.— Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food, Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978 ordered *vide* No. F. 3 (4)2009/F&S/P&C/Vol-III/944 dated 16-11-2010 that order No. F 3(4)/2002/F&S/P&C (2)/19 dated the 20th June, 2002, relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963 shall be kept in abeyance to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Tenth Amendment) Order, 2011 up to 30-9-2011.

And whereas, the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) *vide* Notification S.O. 654(E) dated 30-3-2011 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2011 and its clauses 1, 2, 3 and 4 provide as under :—

"1. It shall come into force on the 1st day of April, 2011.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodity, namely, Sugar, for a further period up to 30th September, 2011 or further order, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of sugar to places outside the state nor shall it be applicable to import of this commodity:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare their receipts of stocks of sugar, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above."

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Department of Food, Notification No. G.S.R. 800 dated the 9th June, 1978, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby orders that order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C(2)/19 dated the 20th June, 2002, relating to Delhi Sugar Dealers Licensing Order, 1963, shall be kept in abeyance to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Tenth Amendment) Order, 2011 for a further period up to 30th September, 2011.

सं. फा. 3(4)/2002-एफ एंड एस/पी व सी/ 382.— जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9/1/97-एफ एवं एस/पी एवं सी/(II)/252 के अनुसार दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण), आदेश, 1977 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या फा. 3(4)2002-एफ एवं एस/पी एवं सी(3)/17 के अनुसार दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 रद्द करते हैं ।

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 अक्तूबर, 1972 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 452(अ) के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए 18 मई, 2009 को आदेश दिया कि दिनांक 9 मार्च, 1998 के आदेश संख्या 9/1/97-एफ एवं एस/नीति (II)/252 तथा 20 जून, 2002 को आदेश संख्या फा. 3(4)2002-एफ एवं एस/पी एवं सी(3)/17 जो दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस एवं नियंत्रण आदेश, 1977 तथा दिल्ली खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, 1988 से संबंधित था को उक्त आदेश या आगामी आदेश, जो भी पहले हो, जारी होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2009 तक विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2008 के निवारण (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) उपबंधों तक स्थगित रखे जायेंगे ।

जबकि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता कार्यकलाप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्त कार्यकलाप विभाग के दिनांक 30-3-2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 654(अ) के द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (संशोधन) आदेश, 2011 जारी किया गया है :

और जबकि पूर्वोक्त आदेश के खण्ड 1(2), 2, 3 और 4 में व्यवस्था है :-

1(2) यह 1 अप्रैल, 2011 से लागू होगा ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण आदेश, 2002 में बिक्री के लिए क्रय, लाने ले जाने, बिक्री, पूर्ति, वितरण या भंडारण संबंधी प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्तियां इस आदेश के लागू होने की तिथि से 30-9-2011 तक की आगामी अवधि के लिए वस्तुएं अर्थात् खाद्य तेल, तथा तिलहन के लिए 30-9-2011 तक स्थगित रखे जाएंगे ।

3. इस आदेश का कुछ भी राज्य से बाहर के स्थानों में खाद्य तेल एवं तिलहन की ढुलाई, वितरण या निपटान पर प्रभाव नहीं डालेगा या न ही इन वस्तुओं के आयात पर लागू होगा ।

शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें इन वस्तुएं के स्टाक की प्राप्तियां तथा उनके द्वारा रखे गए स्टाक की घोषणा करने के लिए आयातकर्ताओं को निर्देश दे सकती हैं ।

व्याख्या : यदि कोई थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता या व्यापारी आयात से प्राप्त अपने स्टाक के भाग को प्रदर्शित करने में सफल रहता है तब उन्हें स्टाक सीमा की गणना करने के प्रयोजन के लिए बाहर रखा जाएगा।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) के निवारण संबंधी आदेश, 2002 के सभी अन्य उपबंध प्रवृत्त रहेंगे जहां तक उक्त खण्ड 2 में उल्लिखित अवधि के दौरान थी ।

अब इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800 द्वारा जारी आदेश के साथ पठित अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आदेश देते हैं कि दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंस तथा नियंत्रण) आदेश, 1977 तथा 9 मार्च, 1988 के आदेश संख्या 9/1/97-एफ एवं एस/नीति (II)/252 तथा दिनांक 20 जून, 2002 के आदेश संख्या 3 (4) 2002-एफ एवं एस/पी एवं सी (3)/17 के संबंध में प्रवृत्त होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2011 तक आगामी अवधि के लिये खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहन के संबंध में विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थ संबंधी (लाइसेंसिंग आवश्यकता, स्टाक सीमा तथा लाने ले जाने में प्रतिबंध) निवारण (संशोधन) आदेश, 2011 दिनांक 30 मार्च, 2011 के उपबंधों की सीमा तक स्थगित रखा जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

वी. के. जैन, विशेष सचिव (पी. एवं सी)

No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/382.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi rescinded the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977, *vide* Order No. 9(1)97-F&S (P&C)/II/252 dated 9th March, 1998, and the Delhi Foodgrains Dealers Licensing Order, 1988 *vide* Order No. F. 3 (4)/2002/F&S/P&C/(3)/17dated the 20th June, 2002.

Whereas, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of

1955) read with the Order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) *vide* Notification No. G. S. R. 452 (E) dated the 25th October, 1972 ordered on 18th May, 2009 that Order No. 9(1)/97-F&C(P&C)/II/252 dated the 9th March, 1998 and Order No. F. 3(4)/2002/F&S/P&C/(3)/17 dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977, respectively, shall be kept in abeyance, to the extent of the provision of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Third Amendment) Order, 2008; for a further period up to 30th September, 2009, from the date of issue of the said order or further order, whichever is earlier;

Whereas the Central Government *vide* Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs, Notification No. S.O. 654(E) dated 30-3-2011 has issued the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order 2011;

And whereas clause 1 (2), 2, 3 and 4 of the aforesaid Orders provides :—

1 (2) It shall come into force on the first day of April, 2011.

2. The words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for edible oilseeds and edible oils up to 30-9-2011.

3. Nothing contained in this order shall affect the transport, distribution or disposal of edible oils, edible oilseeds and rice to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities:

Provided that the Central Government or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

Explanation: If a wholesaler or retailer or dealer is able to demonstrate that part of his or her stocks are sourced from imports, then these would be excluded for the purpose of calculation of stock limits.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above."

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with the order issued by the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Food) Notification No. G. S. R. 800 dated the 9th June, 1978, hereby orders that Order No. 9(1)/97-F&C(P&C)/(II)/252 dated the 9th March, 1998 and Order No. F. 3 (4)/2002/F&S/P&C/(3)/17 dated the 20th June, 2002 relating to the Delhi Edible Oils (Licensing and Control) Order, 1977, shall be kept in abeyance, to the extent of the provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2011, dated 30-3-2011 for a further period up to 30 September, 2011 in respect of edible oil and edible oilseeds.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
V.K. JAIN, Spl. Secy. (P&C)

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जुलाई, 2011

सं. फा. 3 (11)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/डीएस II/398.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	रविन्दर ढल	संयुक्त आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एस. के. साहा, उप-सचिव-II

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th July, 2011

No. F. 3 (11)/Fin.(T&E)/2009-10/DS II/398.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

Sl. No.	Name of the Officer	Appointed As
1.	Shri Ravinder Dhall	Joint Commissioner of Value Added Tax

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
S.K. SAHA, Dy. Secy.-II

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.